

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला विकास शाखा)

आदेश

माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह द्वारा उनके पार्षद मद की राशि से वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुशंसित योजना एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 49/विकास, दिनांक 28.03.12 द्वारा नीचे वर्णित तालिका में उल्लेखित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 50 % (पचास प्रतिशत) राशि विमुक्त की गयी है, कार्यान्वयन एजेन्सी के पत्रांक 922 दिनांक 12.07.12 द्वारा अवशेष राशि विमुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न तालिका में उल्लेखित योजना में 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष 10 % (दस प्रतिशत) राशि विमुक्ति की स्वीकृति जाँच के बाद प्रदान की जायेगी।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को यह आदेश दिया जाता है कि वें निम्न तालिका के स्तम्भ 6 (छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ 3 (तीन) में अंकित पदा० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रम	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त की राशि 50 %	40 % विमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कृष्ण सेवा सदन पुस्तकालय भवन में विद्युत कार्य, ध्वनी रहित जेनरेटर, पानी कनेक्शन, पानी टंकी, तथा चहार दिवारी निर्माण कार्य।	प्र० वि० पदा० सं० मुंगेर	10,00,000	5,00,000	4,00,000
कुल			10,00,000	5,00,000	4,00,000

दृष्टव्य :-

1. कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 10,00,000 (दस लाख रुपया मात्र)
2. पूर्व में कुल विमुक्त राशि :- 5,00,000 (पाँच लाख रुपया मात्र)
3. विमुक्त की राशि :- 4,00,000 (चार लाख रुपया मात्र)

E/-

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक 153 / जि० वि० मुंगेर / दि० 07/08/12 /

प्रतिलिपि :-

कोषागार पदा०, मुंगेर / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा०, मुंगेर / अनुमण्डल पदा०, सदर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।